

03/05/23

पत्रावली पेश हुई। पड़ोसियों द्वारा  
दिये गये बयान शामिल मिलल  
किये गये। तहसीलदार किसानगढ़  
रेनवाल द्वारा पेश जवाब, फर्द और  
रिपोर्ट एवं वादी के पड़ोसियों द्वारा  
दिये गए बयानों के पश्चात्  
वकील वादी ने मुताबिक अनुरोध  
बाद डिक्री किये जाने का निर्वेदन  
किया। पत्रावली का अवलोकन  
किया गया। अवलोकन एवं मनन  
के पश्चात् वादी का बाद डिक्री  
किया गया। निर्णय पृथक् से रजिस्ट्र  
किया जाकर शामिल पत्रावली किया  
गया। तहसीलदार किसानगढ़ रेनवाल  
को तहरीर जारी की। पत्रावली फसल  
शुमार होकर दल नंबर से कम है।  
निर्णय "प्रशासन गांवों के संग"  
केम्प पंचकोड़िया में सुनाया गया।

माता